आखिर कब रुकेगा
बलात्कार
के कानूनों का भारी दुरुपयोग

पुरुष अशक्तिकरण ! बनाम नारी सशक्तिकरण !!

बलात्कार के कानूनों का भारी दुरुपयोग

लेखन व संकलन : नारायण साँई
(करनाल जेल फरवरी–मार्च २०१६)

प्रथम संस्करण

प्रति : १०००

वर्ष : २०१६

मूल्य : ५ रू.

प्रकाशक : संत श्री नारायण साँई लोक सेवा ट्रस्ट
एवं ओजस्वी प्रकाशन

आभार : रोशनलाल S/o शेरसिंह का जो करनाल जेल में कैदी है जिन्होंने विभिन्न अखबारों में आई खबरें कटिंग करके पुस्तक बनाई व मुझे दी । जिसके इस संदर्भ से इस लेख को लिखने में मददरूप हुआ है ।

– नारायण साँई

समर्पण

यह पुस्तिका समर्पित है उन बेगुनाह पुरुषों एवं उनके पीड़ित परिवारों को जो निर्दोष होने के बावजूद भी झूठे बलात्कार के आरोपों को झेल रहे हैं, महिला अत्याचारों का शिकार हुए हैं व बेवजह प्रताड़ित हुए हैं या हो रहे हैं । आज भी जेलों में व्यर्थ सजा काट रहे हैं या काट चुके हैं और जीवन भर बदनामी झेलते रहे हैं ।

इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने का बिल्कुल नहीं या नारी समाज का अपमान करने का भी नहीं है । प्रत्युत बलात्कार के कानूनों का दुरुपयोग करनेवाली कुत्सित मनोवृत्ति वाली नारीयों द्वारा पुरुष समाज को बचाने, संरक्षण प्रदान करने का है तथा इन कानुनों में संशोधन करने का है ।

⁂ बलात्कार के कानूनों का भारी दुरुपयोग ⁂

रेप का केस दर्ज करवाना कुछ विकृत मानसिकता रखनेवाली महिलाओं का शौंक बनता जा रहा है...

महिला सुरक्षा के लिए बनाये गए बलात्कार के कड़े कानूनों का लालच या रंजिशवश महिलाएँ दुरुपयोग कर रही हैं धड़ल्ले से... और पुरुषों को ब्लेकमेल करके रुपये ऐंठती हैं या प्रताड़ित करती हैं या बदनाम करती हैं ।

जी हाँ, आपको ये पढ़ने-सुनने में जरूर अटपटा लग सकता है लेकिन ये सच्चाई है और बलात्कार की झूठी कहानी

बनाकर पुरुषों को डराकर रुपये ऐंठनेवाली विकृत स्वार्थी ब्लेकमेल करनेवाली महिलाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है ये बेहद चिंताजनक है । पिछले दिनों भारत के कई राज्यों में इस तरह पुरुषों को विभिन्न महिलाओं के जरिये फँसाने वाला गिरोह कि जिसमें कुछ वकील भी शामिल थे और कुछ पुलिसकर्मी भी संलिप्त थे । जो कि धनवानों या धनवानों के बेटों को महिलाओं के जरिये फंसाकर मोटी रकम वसूल करता था जिसका पर्दाफाश हुआ था और इस घटना ने हरियाणा में जोर पकड़ा था । एक वकील भी हरियाणा की करनाल जेल में कुछ महिने इसी केस में बंद था । *(देखिये पंजाब केसरी २१-७-२०१४, पानीपत संस्करण में)*

लड़कियों की जिस्मफिरोशी से कमाई करने का आरोपी वकील रिमांड पर

करनाल, २० जुलाई २०१५ । (चावला) लड़कियों को पहले जिस्म फिरोशी के धंधे में उतारने और फिर समझौते के बिनाह पर कमाई करने के आरोपी वकील हरीश आर्य को कुरुक्षेत्र की क्राइम ब्रांच ने करनाल से गिरफ्तार किया । इससे पहले एक और वकील जे.पी. सिंह व उसके एक साथी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है । इस मामले में जिला बार एसोसिएशन ३ वकीलों को एसोसिऐशन से बाहर का रास्ता भी दिखा चुकी है ।

उन्हें पहले ही सस्पैंड किया जा चुका है । कुरुक्षेत्र के

क्राइम ब्रांच के अधिकारी वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि वकील हरीश आर्य को गिरफ्तार करके देर रात्रि न्यायाधीश विनीत सपरा के निवास पर पेश किया गया जहाँ २ दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है ।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में अभी वकील जयफल को काबू किया गया था । वकील हरीश आर्य और दीपक गौतम फरार चल रहे थे । पुलिस ने २ महिलाओं के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था जिनका नाम सुमन और नीलम बताया जा रहा है । अब क्राइमब्रांच दीपक गौतम की तलाश में जुटी है ।

उल्लेखनीय है कि पहले एक ऐसे ग्राहक को ढूंढा जाता था जिसके पास काफी पैसा होता था । फिर उस युवती को उसकी मर्जी या बिना मर्जी के मुताबिक जिसे फंसाना है उस व्यक्ति के पास रात के समय भेजा जाता था । सुबह उसके खिलाफ पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार पर्चा (शिकायत) पुलिस में दर्ज होती थी और फिर समझौते की कवायद शुरु होती थी । जब पैसे मिल जाते थे तो लड़की अपने बयान से मुकर जाती थी और समझौता कर लिया जाता था । क्राइम ब्रांच के अनुसार यह समझौता वकील करवाते थे । जो राशि समझौते के तहत इन वकीलों के हत्थे चढ़ती थी, उसमें युवती का हिस्सा उसको उतना नहीं देते थे या देते ही नहीं थे लेकिन युवती का इस्तेमाल बराबर करते रहते थे और अपना हिस्सा ठीक से न मिलने के कारण युवती परेशान होती रहती थी । आखिरकार

वह युवती ए.डी.जी.पी. क्राइम ब्रांच के पास पहुँची और उसने अपनी सारी कहानी बयां कर दी । इसके बाद विशेष टीम का गठन किया गया और जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई ।

बाद में युवती को मैजिस्ट्रेट के समक्ष बुलाया गया जहाँ उसने १६४ के तहत बयान दिये । क्राइम ब्रांच को बलात्कार केस दर्ज कराके कमाई करनेवाले गोरखधंधे को उजागर करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी ।

विचार करें कि क्या ये सच्ची घटित घटना महिला सुरक्षा के लिए बने हुए कड़े कानूनों का दुरुपयोग नहीं है ? क्या बलात्कार के कानूनों का दुरुपयोग नहीं है ? क्या इसमें शीघ्र संशोधन या बदलाव नहीं होना चाहिए ? एक और घटना का उल्लेख करना भी आवश्यक है जो हरियाणा से प्रकाशित अखबार 'हरिभूमि' में पेज नं १४ पर दि. १-३-२०१६ को छपी है । इस घटना की वास्तविकता सचमुच चौकानेवाली है । हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान मुरथल रेप मामला मीडिया में चर्चित रहा । मुरथल रेप मामले में उठ रहे सवाल एक तरफ शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे । वहीं विवादों में रहे इस मामले में रविवार को एक महिला ने २२ फरवरी २०१६ को मुरथल में उसके साथ गैंगरेप होने का मामला दर्ज करवाया था और मामले में महिला से जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान रात के समय सात लोगों द्वारा गैंगरेप करने की बात कही । इसी मामले को लेकर सोमवार (२९-२-२०१६) को महिला को अपने ससुराल

राइ क्षेत्र के जेठड़ी गांव में पंचायत हुई, जिसमें खुद को रेप पीड़िता बतानेवाली महिला की माँ और बहन ने कहा कि ये औरत १७ साल से रेप और अपहरण के मामले दर्ज करवाती आ रही है । जिनकी एफ.आइ.आर की कॉपी भी मीडिया के हवाले कर दी गई है ।

ये महिला साल १९९९ से महिला रेप, अपहरण और मारपीट के कई मामले अलग-अलग थानों में अबतक दर्ज करवा चुकी है । रेप का मामला दर्ज करानेवाली महिला की माँ ने अपनी बेटी की यह करतूत उजागर करते हुए कहा कि उसकी बेटी ने कई लोगों का जीवन बरबाद किया है इस महिलाने मुरधल में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान ७ लोगों पर गैंगरेप का झूठा मामला दर्ज करवाया है जिसमें अपने देवर सहित अन्य सुसराल के लोगों पर भी आरोप लगाया है ।

सच्चाई का लोगों को इंतजार

कोर्ट के आदेश के ३ दिन बाद भी मुरथल में महिलाओं से हुए रेप की सूचना में कोई पीड़ित सामने नहीं आया था और चौथे दिन पीड़ित पुलिस के पास पहुँची है । अब देखना होगा मुरधल रेप केस कितने और मोड़ लेगा क्योकि इस मामले में जो भी गवाह मीडिया के सामने महिलाओं से छेड़छाड़ की बात कह रहे हैं, वो पुलिस के सामने जाते ही बयान बदल देते हैं । इस मामले की भी जाँच पुलिस कर रही है । अभी तक मामले की असली सच्चाई सामने आनी बाकी है ।

मानना होगा कि बलात्कार के २४ हजार मामले ३० सितम्बर २०१२ तक उच्च न्यायालयों में लंबित थे । अब संख्या और भी बढ गई होगी । भारत की विभिन्न जेलों में बंद अनेकों कैदी निर्दोष होने के बावजूद सजा काट रहे हैं ।

पंजाब केसरी दि. २२-३-२०१४

(www.haryanakesari.in) में छपा देवी चरियन का लेख ''बलात्कार विरोधी कानून का दुरुपयोग न करें महिलाऐं ।'' खास पढने योग्य है । संदर्भ : (devi@devicherian.com)

पंजाब केसरी अखबार में छपे लेख में देवी चरियन लिखती हैं - **आवारा स्वच्छंदी महिलाएँ रेप केस दर्ज कराके मोटी रकम लेकर मुकर जाती हैं इसका मतलब है कि उन्होने महिला सुरक्षा के लिए बनाये गए कड़े कानूनों का दुरुपयोग करने को आसानी से कमाई करने का एक पेशा बना लिया है । इसे वे सरलता से आमदनी का साधन समझती हैं ।**

स्वार्थ, लोभ, लालच या रंजिश के चलते अथवा किसी कानूनी पेशे से जुड़े व्यक्ति के प्रभाव में आकर या किसी की दुष्प्रेरणा से भी लंबे समय बाद या वर्षों-वर्षों बाद बलात्कार की शिकायतें दर्ज होना सीधा-सीधा बलात्कार के कानूनों का दुरुपयोग है । ऐसी शिकायते खारिज कर देनी चाहिए व ऐसी मलीन इरादा रखनेवाली महिलाओं के खिलाफ भी कारवाई होनी चाहिये ।

भारत का संविधान सभी को समान अधिकार देने की बात

करता है । हाँ, ये सच है कि २०-२५ साल पहले महिलाएँ दबकर जीती थीं और उन पर अन्याय-अत्याचार हुए पर अब तो महिला आयोग बना है, महिला सुरक्षा के कानून बने हैं पर इसका अर्थ ये नहीं कि पुरुषों को बेवजह प्रताड़ित किया जाये !

देखिये पंजाब केसरी पानीपत संस्कार दि. ३-८-२०१५ पेज नं. ३ :-

रेप का मामला दर्ज करवाने की धमकी देकर दुकानदार से मांगे १० लाख

कैथल २ अगस्त २०१५ । (सुखविन्द्र)

गांव किठाना में स्पेयर पार्टस की दुकान चलानेवाले एक व्यक्ति पर रेप का मामला दर्ज करवाने की धमकी देकर उससे १० लाख रुपये मांगे जाने का मामला सामने आया है लेकिन दुकानदार ने आरोपियों को पैसे देने से मना कर दिया और मामले की सूचना राजौंद पुलिस को दे दी । एस.एच.ओ., राजौंद-सुभाष श्योकंद ने बताया कि पुलिस ने पैसे मांगने वाली एक महिला व २ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है । गांव पेगा निवासी सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि १ अगस्त २०१५ को वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था । उसकी दुकान पर एक महिला व दो व्यक्ति पहुँचे । दोनों लोगों ने उसका गला पकड़ लिया और झगड़ा किया । महिला ने कहा कि वह उस पर रेप का मामला दर्ज करवा देगी । यदि उसने बचना है तो वह उन्हें १०

लाख रुपये दे दे । आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी । आरोपियों की पहचान जगबीर, बलराज, निवासी गड़वाली खेड़ा व ३९ वर्षीय महिला की पहचान जींद निवासी के रूप में हुई है । एस.एच.ओ. राजौंद-सुभाष श्योकंद ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है ।

क्या ये घटना महिला सुरक्षा के नाम पर बने हुए बलात्कार के कानूनों द्वारा खुल्लमखुल्ला ब्लैकमेलिंग का प्रमाण नहीं है ?

अगर सुरेन्द्र कुमार पुलिस को नहीं बताता तो बलात्कार की धारा में वह जेल में होता और बेवजह सजा भुगतता ।

यहाँ तक की विचाराधीन कैदियों को आधी सजा भुगतने पर झूट जाने का लाभ जो सुप्रीमकोर्ट के अनुसार मिलना चाहिये वो भी नहीं मिलता ।

सुप्रीमकोर्ट के एडवोकेट विमल वधावन पंजाब केसरी में (५-९-२०१४ - पेज-६) में लिखते हैं कि केवल कानून बनाने से पैदा नहीं होगा महिलाओं के प्रति सम्मान ।

पंजाब केसरी ८.६.२०१४ सी.डी. कर सकती हैं दुष्कर्म के धंधे का बड़ा खुलासा ।

***

अब देखिये एक अन्य रिपोर्ट-पंजाब केसरी, पानीपत संस्करण दि. २७-५-२०१४ के दिन छपी है, पेज नं. ८ :

फर्जी तौर पर प्रेमिकाओं के फोन कोल के जरिए ग्राहकों को फंसाने वाले रैकेट का पर्दाफाश

कैथल २६ मई (का.प्र.) ।

फर्जी तौर पर प्रेमिकाओं के फोन कोल के जरिए ग्राहकों को फंसाने का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है । सूत्रों के अनुसार कैथल जिला अदालत में कार्यरत एक वकील की हांसी में हुई गिरफ्तारी को लेकर यहाँ बहुत से लोग हैरान है । वहीं उन लोगों को राहत मिली है । जिन्हें एक संगठित गिरोह से बार-बार झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकीयाँ मिल रही थी ।

जानकारी के अनुसार बीते ५ साल के दौरान दर्जनों लोगों को अपने सैक्स रैकेट में फंसाने और बाद में मोटी रकम लेकर छोड़ देने संबंधी प्रकरण में शामिल वकील, पुलिस के जवान और अन्य कुछ प्रभावशाली लोग अभी तक अपने प्रभाव के कारण समूची कानूनी प्रक्रिया से बच निकलने में कामयाब रहे थे लेकिन फिलहाल प्रदेश के गुप्तचर विभाग ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को यह निर्देश दिये हैं कि जहाँ कहीं भी ऐसी रहस्यमयी कोल आती हैं तो उसकी निगरानी की जाये क्योंकि यह रैकेट पंजाब हरियाणा चंडीगढ, दिल्ली और राजस्थान आदि राज्यों में सक्रिय है । इसमें २० से अधिक उच्च लोगों की भूमिका बताई जा रही है जो कानूनी पेशे से जुड़े हुए हैं । हांसी पुलिस के एक जांच अधिकारी ने बताया कि कई महिनों से यह रैकेट हरियाणा के अलावा पड़ोसी राज्यों में भी सक्रिय था ।

अचानक बदले घटनाक्रम में हुई गिरफ्तारियों ने सभी रहस्यों से पर्दा उठा दिया है । प्रारंभिक तौर पर पता चला है कि दो दर्जन से अधिक महिलाएँ इस अपराध में संलिप्त हैं जो फोन पर ग्राहकों को शिकार बनाती हैं, फंसाती हैं, ब्लैकमेल करती हैं ।

क्या पुरुषों के लिये सुरक्षा का कोई कानून नहीं बनेगा ?

बलात्कार के बने कड़े कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है । बलात्कार की घटना के तीन महिने बीत जाने पर दर्ज की गई शिकायतों में तुरंत गिरफ्तारी न हो । यह संशोधन करना आवश्यक है ।

– नारायण साँई

आवश्यकता अब इसकी है कि जिस तरह दहेज विरोधी कानून में संशोधन करते हुए जिस तरह न्यायलयों ने आदेश दिये हैं कि बिना जांच पड़ताल के गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, उसी प्रकार बलात्कार के कानूनों में भी इस तरह संशोधन करने की नितांत आवश्यकता है । जबसे बलात्कार के कड़े कानून बने हैं उल्टा तबसे बलात्कार के केसों में वृद्धि पाई गई है । मानना पड़ेगा कि केवल कानून बना देने मात्र से अपराधों में कमी आती है ये मानना गलत है । बलात्कार के झूठे मामलों में फँसे हुए भारत की विभिन्न जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को भी अधिकतम दो वर्षों से ज्यादा नहीं रखना चाहिए ताकि उन्हें

अपना पक्ष रखने का भी अवसर मिल सके । सब कुछ केवल वकीलों पर छोड़ना ठीक नहीं है । पुलिस राजनैतिक दबाव में आकर या धन के लालच में आकर भी किसी के भी उपर बलात्कार की धारा लगा सकती है और इस तरह ऐसे आरोपियों की ठीक से जाँच पड़ताल नहीं हो पाती और लंबे समय तक उन्हें जेल में रहना पड़ता है जो गलत है ।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हुए कानूनों का दुरुपयोग करनेवाली महिलाऐं अगर दोषी पाई जाए तो उनका नाम उजागर करने की मीडिया को छूट मिलनी चाहिए ।

अगर बलात्कारी को महत्तम आजीवन सजा का प्रावधान है तो झूठा बलात्कार का केस दर्ज करानेवाली महिलाओं को भी सजा न देना, दंडित न करना कौन सा न्याय है ? उसे भी दंडित करना चाहिए व उसे भी आजीवन या महत्तम १० वर्ष की सजा देनी चाहिए ।

सुप्रीम कोर्ट से एक सुलझे हुए बुद्धिमान एडवोकेट विमल वधावन का कहना है *(देखिए पंजाब केसरी .. दि.२३-५-२०१४)*

कानून निर्माण प्रक्रिया में दूरदर्शिता का अभाव है । भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया कितनी कारगर है – इसका अनुमान अनेकों ऐसे उदाहरणों से लगाया जा सकता है जहाँ एक अच्छे उद्देश्य के बावजूद भी कानून का निर्माण इस कदर बिना सोचे-समझे जल्दीबाजी में कर दिया जाता है कि उद्देश्य की पूर्ति कम

और उस कानून का दुरुपयोग ज्यादा होने लगता है । दूरदर्शिता के अभाव में केवल राजनीतिक चालों के रूप में बनाए गए कानून अक्सर उन उदाहरणों में शामिल हो जाते हैं जो दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र पर भी इतने गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं कि आखिर भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया कैसी है ? यह प्रक्रिया किस व्यक्ति या समूह के हाथ में है ? इस प्रक्रिया में दूरदर्शिता का अभाव क्यों होता है ?

अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधी राजनीतिज्ञों को चुनाव के आंगन से बाहर करने के लिए एक निर्णय दिया परन्तु केन्द्र सरकार ने उस निर्णय के विरुद्ध एक अध्यादेश जारी किया । सरकार के भी ऊपर एक सुपर प्रभावशाली व्यक्ति ने उस अध्यादेश की प्रति सार्वजनिक रूप से फाड़ी और अगले ही दिन प्रधानमंत्री की क्लास ली । परिणामतः वह अध्यादेश वापस ले लिया गया । इस घटना को राजनीति से जोड़े बिना यदि यह प्रश्न किया जाए कि आखिर सरकार ने अध्यादेश जारी करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई थी ? सरकार ने किन विशेषज्ञों से राय ली थी ? इस अध्यादेश के दूरगामी परिणामों पर सरकार ने क्या कोई विशेष शोध किया था या नहीं ? क्या हमारी कानून निर्माण प्रक्रिया इतनी सरल है कि रात में कोई प्रधानमंत्री के साथ बैठक करके विचार करे और अगले दिन राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी ?

निर्भया बलात्कार की घटना को मीडिया ने इतना अधिक

महत्व दिया कि सत्तासीन राजनीतिज्ञों को लगा कि कहीं उनके खिलाफ वातावरण न बन जाए ! यू.पी.ए. अध्यक्षा सोनिया गांधी ने एक दिन आधी रात को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जे.एस.वर्मा को टेलीफोन पर बलात्कार सम्बन्धी एक सख्त कानून बनाने का निवेदन किया । न्यायमूर्ति वर्मा ने बड़े गौरवान्वित होकर मिडिया के सामने इसका उल्लेख किया । अन्ततः न्यायमूर्ति वर्मा ने बड़ी योग्यता और मेहनत के साथ कानून का प्रारूप तैयार किया । संसद ने यह कानून पास किया । इस पर कई राजनेताओं ने विरोधी वक्तव्य भी दिये । यहाँ तक कि दिल्ली की एक सत्र अदालत ने तो एक निर्णय में यह कह दिया कि इस नए कानून का दुरुपयोग होने की सम्भावनाएँ प्रबल हैं । आगामी एक दशक से कम समय में ही इस नए प्रावधान के अंतर्गत लाखों की संख्या में लोग आरोपित हो सकते हैं ।

और यह सत्र अदालत का यह अनुमान कितना सच निकला कि बलात्कार के विरोध में बने हुए कठोर कानूनों का भरपूर दुरुपयोग हो रहा है और अनेकों निर्दोष लोगों को शिकार बनाया जा रहा है । राजनीतिक हितों की दृष्टि से भी इसका उपयोग किया जा रहा है । बलात्कार कानून का शत्रुओं को परास्त करने में, बदनाम करने में भी इस्तेमाल किया जाता है । इसमें अनेकों निर्दोष भी हैं जो बेवजह जेलों में पड़े हैं । सहमति से बनाए गए संबंध जिसमें स्त्री–पुरुष की आपस में रजामंदी होती है परंतु बाद

में ऐसे संबंधों को भी परिवार के दबाव में या मनमुटाव में या पूर्वनिर्धारित योजना अनुसार या फिर मोटी रकम ऐंठने के लिए बलात्कार की एफ.आई.आर. (शिकायत) दर्ज करवा दी जाती है और बाद में समझौता कर लिया जाता है। कई बार राजनीतिक इन्टरेस्ट से भी शत्रुओं या विरोधी पार्टी के लोगों, दलों को पछाड़ने के लिए भी बलात्कार के केसों को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ।

सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विमल वधावन का कहना है कि हमारे देश में कानून आनन-फानन में बना दिये जाते हैं । लागू होने के बाद जब उनके दुष्परिणाम भयानक रूप से चौंकाने वाले सामने आते हैं तो फिर उनमें परिवर्तन की प्रक्रियाएँ चलने लगती हैं परन्तु जल्दबाजी में बने कानून तब तक अनेकों का नुकसान कर जाते हैं, अनेकों बेकसूर लोगों को अपराधी बना दिया जाता है । किसी सरकार की महानता केवल कानून बनाने में नहीं है, अपितु महत्वपूर्ण यह है कि कानून बनाने के बाद समाज में एक विशेष समस्या की घटनाओं में कमी कितनी होती है । ये भी देखना आवश्यक है । अफसोस कि हमारे देश में एक समस्या को लेकर कानून बनते हैं, परिवर्तन होते हैं परन्तु फिर भी समस्याऐं घटने के स्थान पर तीव्र गति से बढती जाती हैं ।

दहेज विरोधी कानून भी समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी परन्तु दूरदर्शिता के अभाव में बने कानूनों ने अनेकों बार ऐसी स्थिति बना दी कि जब एक बहू की शिकायत

पर पति के परिवार की अनेकों स्त्रियों को थानों, जेलों और अदालतों में प्रताड़ित होना पड़ा । यहाँ तक कि पति परिवार के अबोध निर्दोष बच्चों और बड़ी उम्र के माता-पिता और कभी-कभी तो दूर रहनेवाले रिश्तेदारों को भी बेवजह मुकदमे-बाजी के प्रकोप झेलने पड़े । क्या ऐसी घटनाएँ कानून बनानेवालों की नजर में आईं हैं ?

आतंकवादियों से निपटने के लिए टाडा कानून भी बहुत आवश्यक था । परन्तु इसके दुरुपयोग ने इस कानून को ही फेल कर दिया ।

हरियाणा में व्यापारियों से सम्बन्धित एक कानूनी प्रावधान यह है कि प्रत्येक व्यापारी अपने पिछले वर्ष के लेन-देन का विवरण ३१ अक्टूबर तक जमा करवाएगा । ऐसा न करने पर २०० रुपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा । यदि कोई साधारण सा दुकानदार जो या तो खाता ही नहीं बनाता या अपने खाते किसी छोटे-मोटे अकाउन्टन्ट से लिखवा लेता है यदि इस नियम के हिसाब से विवरण जमा कराने में चूक जाए तो उसे एक साल के बाद ७३ हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा । क्या ऐसे कानूनों को बनाने से पहले कानून निर्माण प्रक्रिया इनके दूरगामी परिणामों पर विचार नहीं करती ?

कानून निर्माण प्रक्रिया के लिए एक संक्षिप्त-सा सुझाव है कि किसी भी कानून निर्माण या परिवर्तन का कार्य लोकसभा या विधानसभा को सीधे नहीं करना चाहिए । विधि आयोग में

कानून समाज, अर्थ-व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान आदि अनेकों विषयों के विशेषज्ञ शामिल हों या प्रस्ताव के अनुसार सम्बन्धित विशेषज्ञों की एक समिती गठित कर दी जाए । ऐसी समितियों से विस्तृत शोध करवाकर ही कानून का प्रारूप तैयार करवाया जाए जिसे लोकसभा या विधान सभाऐं पारित करें । इस प्रक्रिया से पूरी सम्भावना है कि कानून निर्माण का कार्य पारदर्शी और दूरगामी परिणामों पर विचार करके संभव हो पायेगा ।

वर्तमान में बने हुए बलात्कार आदि कई कानूनों से अपराधों में कमी तो नहीं आई है बल्कि बढोतरी ही हुई है और अनेकों निर्दोष फसाएँ गये हैं, प्रताड़ित किए गए हैं व आज भी अनेकों निर्दोषों से भारत की जेलें भरी पड़ी हैं और तेजी से भरती जा रही हैं । अतः पुनर्विचार करते हुए विधि आयोग उन कानूनों की पुनः समीक्षा करें, संशोधन-परिवर्तन करें यह आवश्यक हैं ।

३० सितम्बर २०१२ तक २४००० बलात्कार के मामले उच्च न्यायालयों में लंबित थे । उनके निपटारे की गति भी बहुत धीमी है । इस स्थिति में अनेकों निर्दोष लोग भी फंसे हुए हैं । जो लंबे समय से कारावास में बंद हैं या जमानत पर रिहा होने के बावजूद तनाव भरी जिन्दगी जी रहे हैं । सहमति से बनाए संबंध भी बलात्कार की श्रेणी में आ गए हैं ।

यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और इसका शीघ्रातिशीघ्र हल निकालना ही चाहिए ।

एक प्रसिद्ध लेखिका देवी चरियन कहती हैं । (देखिए पंजाब केसरी, २२–३–२०१४) महिलाओं की रक्षा के लिए यह बलात्कार विरोधी कानून बनाया गया है न कि निजी रंजिशों का हिसाब करने के लिए । यह उन महिलाओं के लिए बनाया गया है जो सचमुच ही पुरुषों के हाथों दुर्व्यवहार व प्रताड़ना का शिकार हुई हैं ।

यदि इन कानूनों को कपट पूर्ण ढंग से प्रयुक्त किया जाता है तो इससे महिलाओं को भी नुकसान पहुँचेगा । आरोप लगाने वाली महिलाओं को ये भी समझने की जरूरत है कि यह बलात्कार का कानून बदलाखोरी का त्वरित हथकंडा नहीं है ।

यदि कोई साधारण महिला उत्पीड़न के विरुद्ध अपनी आवाज उठाती है तो वह स्वतः ही अपने परिवार को भी यातना दे रही होंगी और साथ में ही खुद भी बार–बार सदमें का सामना करेगी । ऊँची हवाओं में उड़नेवाली बहनों और बेटियों को किसी पुरुष, जो खुद भी किसी महिला का बेटा है, किसी बेटे–बेटी का बाप भी हो सकता है । उस पर आरोप लगाने से पहले दो चार बार सोचना चाहिए । सवाल केवल एक व्यक्ति का ही नहीं है, इसके साथ पूरे परिवार को सवालों और जवाबों की चक्की में पिसना पड़ता है और बार–बार यातना पूर्ण अनुभव मे से गुजरना पड़ता है । हम बहुत बेरहम दुनिया में जी रहे हैं ।

गुनाह चाहे एक व्यक्ति ने किया हो, यह दुनिया परिवार के हर सदस्य से इसकी कीमत वसूल करती है । ऐसे में रेप का आरोप लगानेवाली महिला को इसकी गहराई तक जाना चाहिए । यदि केवल धौंस जमाने का ही मामला है तो रेप केस दर्ज करवाकर उसे कठोर दंड दिलवाना बिल्कुल बेहूदा है । दहेज कानून का भी बारबार दुरुपयोग हुआ है । देवी चरियन कहतीं हैं कि हम सभी ऐसे मामलों के प्रति जानते हैं जहाँ दहेज के केसों में अनेकों ससुर पक्ष के लोग वर्षों से सलाखों के पीछे बंद हैं । **फिलहाल तो कानून महिलाओं की बात ही हमदर्दी से सुनता है लेकिन इस अधिकार का दुरुपयोग न करें नहीं तो सभी महिलाओं को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी ।** अनेकों निर्दोष पुरुष दहेज के झूठे मुकदमों से मुक्त होने के लिए लाखों-करोड़ों रुपये अदा कर रहे हैं ।

कार्यस्थल पर झूठे आरोपों की बदौलत पुरुष, कर्मचारीयों का रोजगार छिन जाता है । अकडफूं दिखाना एक सीमा तक बर्दाश्त हो सकता है लेकिन व्यक्ति के मान-सम्मान पर इस तरह हाथ डालना कि उसे और उसके परिवार के ७ वर्षों तक इसकी किमत अदा करनी पड़े यह बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं । अनेक भारतीय परिवारों में बेइज्जती को आज भी मौत से बदतर समझा जाता है । नए कानूनों के अंतर्गत महिलाओं को जो अधिकार मिलें हैं उनको बेहतरीन और जिम्मेदारी भरे ढंग से प्रयुक्त किया जाना चाहिए ताकि किसी भी हथकंडे से या रंजिश

रखनेवाली मलीन मुरादों वाली औरतों के कारण समस्त औरतों की विश्वसनीयता को आंच न आए ।

एक और महत्वपूर्ण खबर है कि आपराधिक कानूनों में संशोधन के लिए केन्द्र सरकार अध्ययन करवा रही है । ये अच्छी बात है ।

वर्तमान भाजपा केन्द्र सरकार ने बताया (७ जुलाई २०१५ को) कि हमने भारतीय विधि आयोग से आपराधिक कानून से सभी पहलूओं का अध्ययन करके विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके देने को कहा है ताकि आइ.पी.सी./सी.आर.पी.सी. में अनेक कानूनों का व्यापक संशोधन किया जा सके ।

कानून और न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि गृह मंत्रालय के सुझाव पर भारतीय विधि आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह आपराधिक कानून के सभी पहलूओं का अध्ययन करके विस्तृत रिपोर्ट देवें ताकि भारतीय दंड संहिता (आइ.पी.सी.) १८६०, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.) १९७३, और भारत साक्ष्य अधिनियम १८७२ आदि कानूनों में व्यापक संशोधन किये जा सकें ।

रविशंकर प्रसाद ने बताया कि आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जायेगी । *(देखिये पंजाब केसरी ८-९-२०१४)*

अतः अब आवश्यक है कि इन कानूनों में शीघ्र संशोधन

परिवर्तन हो ताकि अनेकों निर्दोषों को बेवजह परेशानियों का सामना न करना पड़े ।

साथ ही कानून बनाने मात्र से अपराधों में कमी आ जाती है यह मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी । हमारी सामाजिक विचारधारा को बदलने पर हमें ध्यान देना होगा ।

इतना ही नहीं, सामाजिक सेवा से जुड़े, ट्रस्ट संचालित करने वाले, एन.जी.ओ चलानेवाले एवं धार्मिक प्रतिष्ठित – जो अपने जीवन कार्यो से समाज को उन्नत करने में लगे हुए हैं और जिनके व्यापक अनुयायी भी हैं, ऐसे संतों–महापुरुषों को भी कानूनी सुरक्षा देनी चाहिए । इससे उच्च पदों पर, सम्माननीय न्यायाधीशों के पदों पर भी आसीन व्यक्तियों को बदनाम करने के लिए कानूनों का जो दुरुपयोग किया जाता है व उनके सम्मान को हानि पहुँचती है – वह रुकेगी ।

जिस तरह संविधान के अनुच्छेद ३६१ (२) के तहत राज्यपाल के खिलाफ आपराधिक मामले की सुनवाई पर रोक है और इस धारा ३६१ (२) के तहत कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति, या राज्य के राज्यपाल के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई भी आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता है । इसी प्रावधान को विस्तृत करके प्रतिष्ठित संत–महापुरुष, समाज सुधारक, व एन.जी.ओ ट्रस्ट के जरिए सामाजिक हितकारी प्रवृत्तियाँ करनेवालों को भी संविधान के अनुच्छेद ३६१ (२) का लाभ मिले ऐसा संशोधन करना चाहिए ।

क्योंकि प्रसिद्धि प्राप्त करने हेतु या रंजिश के चलते प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बदनाम करने का प्रचलन बढता जा रहा है ।

न्यायाधीश एच.एल. दत्तू पर भी एक महिला ने यौन उत्पीडन का आरोप लगाया था ।

(संदर्भ : १९ सितम्बर २०१५, पंजाब केसरी)

अतः अब यह समय की माँग है कि अफरा तफरी में या मीडिया के दबाव में जल्दबाजी में यूपीए सरकार द्वारा बनाये गये बलात्कार के कड़े कानूनों में शीघ्र संशोधन होना चाहिए । विचाराधीन कैदीयों की अधिकतम समयसीमा तय होनी चाहिए और उनको जमानत शीघ्र मिलनी चाहिए । भारत की जेलों में भी ओवरक्राउडिंग बढ रहा है – ओपन जेल के कोन्सेप्ट पर भी शीघ्र काम होना चाहिए । आरोपियों/कैदीयों की समय शक्ति का सदुपयोग हो ऐसी योजनाऐं अमल में आनी चाहिए । आखिर भारत की जेलें कबतक अंग्रेजों के बनाए हुए ५० वर्षों से अधिक पुराने जेल मेन्युअल के अनुसार चलेंगी ?

शीघ्रातिशीघ्र महिला सुरक्षा के लिए बने कानूनों में परिवर्तन करना अपेक्षित है वरना इसके दुरुपयोग का प्रचलन बढता जा रहा है एवं अनेकों निर्दोष पुरुषों की रंजिश या विवादों के चलते छेड़छाड़ या यौन शौषण या बलात्कार की धाराऐं लगाकर न्यायालयों को हथकंडे के रूप में प्रयोग करके लंबे समय तक जेलों में रखा जाता है आखिर यह स्थिति बदलनी ही चाहिए ।

पुरुष अशक्तिकरण बनाम नारी सशक्तिकरण

संकलन व अनुवाद : नारायण साँई

(संदर्भ : संदेश पेज–१४, अर्ध साप्ताहिक – राजेन्द्र रावल)

आधी रात बीत चुकी थी । बारह बजने की तैयारी थी । मीत बेचारा एक घंटे से सरकारी बस स्टैन्ड पर इंतजार में खड़ा था कि कब बस आएगी ! बेकरार हो प्रतीक्षा कर रहा था !

बैचेनी और इंतजार के बीच सर्दीयों की कातिल ठंड से बचने के लिए मीत चाय की एक दुकान के पास टूटे फूटे शेड के नीचे बैठा । उसे हुशियारपुर जाना था और मन ही मन उलझन में था कि अंबाला कैसे पहुँचुँ ? सरकारी परिवहन की बस के इंतजार में चुपचाप थका हुआ एक बैंच पर बैठ गया ।

इतने में कोई २७–२८ वर्ष की एक खुबसूरत लड़की ने उसके पास आकर पूछा कि अंबाला जानेवाली बस गई क्या ? सवा दो घंटे से कोई बस डिपो से बाहर निकली नहीं है । अंबाला जानेवाली बस कब आएगी ये मैं कैसे कह सकता हूँ ? मीत इतनी देर से बस के इंतजार में बोर हो चुका था । युवती को देखकर सोचने लगा कि इथनी देर रात में ये युवती यहाँ कैसे ? मन में कुछ शंका हुई और शरीर रोमांचित हो गया । वह युवती स्मार्ट व सुंदर थी । बरसातों की रात थी । कुछ गीले हुए वस्त्रों से वह अधिक आकर्षक लग रही थी । युवती ने पूछा – जी आपको कहाँ जाना है ? मीत ने हँसते हुए कहा – अरे जाऊँगी तो तब कि जब मुझे बस मिलेगी ! युवती बोली चलो समझ लो

कि अगर बस मिल गई तो तुम कहाँ जाओगे ? अपनापन दिखाते हुए युवती ने मीत से पूछा । मीत बोला हुशियारपुर, अगर अंबाला की बस मिल गई तो । युवती अरे कमाल है, मुझे भी हुशियारपुर ही जाना है एक पथ और दो मुसाफिर । मुस्कुराते हुए युवती ने उत्तर दिया । साथ ही खुशी के पीछे थोड़ी निराशा व उदासीनता, नर्वसता दिखाते हुए कहा मेरी भी बुद्धि जैसे ठप्प हो गई – सोचा नहीं, और अंध विश्वास करके उत्साह उत्साह में जल्दबाजी में निकल पड़ी । मीत ने चकित हो पूछा क्यों ऐसा ? तब युवती ने कहा क्या बात है क्या बात करूँ मैं आपको साहब ! जिस व्यक्ति को इस शहर में मैं मिलने आई थी उसने उसका गलत ऐड्रेस दिया था । चेटिंग करते वक्त तो उसने बड़ी बड़ी बातें की थी कि मरते दम तक वो साथ निभायेगा और दूसरे ही महिने उसकी इच्छाओं का मुकाम बदल गया । उसने मुझे इस शहर में आने का निमंत्रण दिया और अपना पता ही गलत दिया इसका क्या मतलब ? आप ही बताइये ! इतना कहकर युवती चुप हो गई । युवती खामोश हो गई ! मीत भी जैसे कुछ पता ही न चलता हो ऐसे चुप हो उसकी बस सुनता रहा । काफी समय तक दोनों चुप शांत रहे । थोड़ी देर बाद युवती ने कहा –

पूछताछ विभाग इंक्वायरी में दो अधिकारी बैठे हैं चलो उनको पूछके आते हैं कि बस कबतक आयेगी ? अधिकारीयों ने कहा आप अपना समय मत खराब करो हाइवे पर चले जाओ आपको वहीं से कोई न कोई वाहन–गाड़ी बस या टैक्सी साधन

मिल ही जायेगी !

बायपास हाइवे शहर से आठ किलोमीटर दूर था रात का एक बज रहा था । बारिश के कारण इतनी देर रात में कोई वाहन गाड़ी बस मिलना थोड़ा सा कठिन था । फिर इतनी रात को सूनसान जगह पर रात्रि कैसे बिताना ये भी प्रश्न था । मुश्किल हालात थे ।

मीत ने युवती से पूछा–अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हम यहाँ पर परेशान होने से अच्छा है कि नजदीक की किसी धर्मशाला में चले जाएँ, आधा आधा किराया बाँट लेंगे ।

युवती बोली धर्मशाला का किराया चुका सकूँ इतने पैसे अभी मेरे पास नहीं हैं ।

मीत ने कहा कोई बात नहीं, तुम चलो मेरे साथ मैं किराया चुका दूँगा । बस स्टैंड से निकलकर दोनों होटल की ओर गए ! पाँच सौ रुपये चुकाकर दोनों पति–पत्नी है ऐसा बोलकर दोनों ने एक होटल का एक कमरा लिया । बहुत ठंड थी कमरे में एक ही बेड था इसलिए एक साथ सोने के बदले दोनों ने अपनी अपनी बातें कहना शुरु किया ।

युवती का नाम था सुखविन्दर उर्फ सुखी जो होशियारपुर के पास दूसरे गाँव की निवासी थी । उसके माता–पिता बहुत गरीब थे । तीन साल पहले सुखी की शादी हुई थी । लेकिन पति शराबी था और जुआरी भी था । कामधंधा कुछ नहीं और जुआ खेलने का शौकीन !

वह सुखी को मारपीट करता था मानसिक प्रताड़ना देता था । सुखी अपने पति का घर छोड़कर चल पड़ी उसकी एक नजदीकी फ्रैन्ड ने फेसबुक के माध्यम से एक परेश नाम के युवक से उसकी दोस्ती कराई । परेश करनाल का निवासी था, सुखी व परेश घंटों घंटों तक बातें करते । परेश ने बड़ी बड़ी बातें करके बताया था कि वह बड़ा बिजनैसमैन है सुखी ने परेश को उसकी व्यथा बताई उसके पति के बारे में बताया आखिरकार परेश ने सुखी को उसके शहर करनाल में आने को कहा ।

सुखी करनाल आई, परेश ने जो पता दिया था वो झूठा (फेक) था । यहाँ कोई परेश नामका व्यक्ति था ही नहीं । देर रात तक वह परेश को ढूँढती रही, लगातार फोन करती रही लेकिन अते-पते बिना के लोगों का एड्रेस थोड़े होता है । आखिरकार तंग होकर परेशान हो अंबाला की बस पकड़कर घर जाने का सोचकर बस स्टैंड पर आई थी ।

सुखी नामक इस महिला की बात सुनकर परेश को उसके लिए करुणा का भाव उत्पन्न हुआ और दया आ गई । भीतर ही भीतर वह सुखी के हावभाव व सौंदर्य पर थोड़ा आकर्षित हो रहा था इतने में यह सुनकर मीत को उसके कुछ सहयोग करने का भाव पैदा हुआ । मीत ने मन ही मन इस निर्णय पर पहुँचा कि वह कुछ ऐसा करे कु सीखी को उस पर विश्वास पैदा हो और उसकी जिन्दगी में स्टेबिलीटी आए ।

मीत होशियारपुर में एक कंपनी में नौकरी करता है रहने के

लिए वहीं एक किराए का मकान लिया है जिसमें वो अकेला रहता है । मीत ने निर्णय किया सुखी का पति जबतक सुधरता नहीं तबतक सुखी को हुशियापुर में अपने किराये के मकान में रखेगा । सुखी को मीत की बात और प्रस्ताव पसंद पड़े । दूसरे दिन सुबह दोनों हुशियारपुर पहुँचे सुखी ने मीत के साथ रहना शुरु किया । कुछ महिने बीते और बाद में सुखी और मीत ने विवाह कर लिया । सुखी मीत के लिए एक आवश्यकता बन गई ।

शादी के बाद सुखी ने भी किसी फैक्टरी में नौकरी ढूँढी, दोनों लोग सुबह ६ बजे नौकरी पर चले जाते शाम को सुखी पाँच बजे आ जाती और मीत रात को आठ बजे घर पहुँचता ।

एक दिन मीत के एक खास दोस्त ने मीत को ऐसा कुछ कहा जिससे कि दोनों की गृहस्थी में एक आग लग गई । मीत के दोस्त ने कहा : भाभी को किसी अनजाने आदमी की बाइक पर जाते हुए देखा । मीत ने सुखी को पूछा कि आज तू किसी की बाइक पर बैठी थी ? सुखी ने कहा नहीं मैं क्यों बैठूँगी किसी की बाइक पर ? आज तो मैं पूरा दिन फैक्टरी पर ही थी । तुमको जिसने भी कहा उसे मिसअंडरस्टैन्डींग हुई । गलत फहमी होई होगी । मीत चुप हो गया । चार-पाँच दिन के बाद दूसरे एक मीत के मित्र ने कहा कि आज तो भाभी फिल्म देखने आए थे । मीत चौंका । मीत ने फिर पूछा - सुखी एक ही जवाब देती आज तो मैं फैक्ट्री में थी ।

अब आएदिन मीत को शिकायतें मिलनी शुरु हो गई – सिनेमा, होटल, मॉल आदि आदि में भाभी को देखा था । शिकायतें बैठने लगी । सुखी अपना वही घिसा पिटा उत्तर देती । आखिरकार थककर एक दिन मीत ने सच्चाई की जाँच करनेका मन में निश्चय किया । और उसे पता चला कि सुखी – हुशियारपुर की एक होटल में देह व्यापार करती थी । उसके अनेकों पुरुषों के साथ संबंध थे । मीत को बहुत धक्का लगा और खामोशी के साथ घर आया । पिछली २४ दिसम्बर २०१५ को मीत ने खुशी की हत्या कर दी जब खुशी ने ये कहा कि तेरे घर में तूने मुझे आश्रय देकर मेरे उपर कोई बड़ा उपकार नहीं किया है समझे ?

मुझे तो हर तीन-चार महीने में बस स्टैंड पर या रेल्वे स्टेशन पर आश्रय देनेवाले बस या ट्रेन चूक जानेवाले अनेकों मिलते ही रहते हैं समझे ?

मीत जेल में है उसके अशक्तिकरण के कारण !

(सत्य घटना पर आधारित – पात्रों के नाम बदले हैं ।)

rajendrarvi@gmail.com

***

महिला ने ५ वर्ष तक पुरुष बनकर ३ किशोरियों से संबंध स्थापित किया

ब्रिस्टल की महिला को २९ महिने की सजा ।

लंदन (२५ मार्च २०१६) । ब्रिटन की एक महिला ने

सोश्यल मिडीया पर स्वयं को पुरुष घोषित करके वेबकेम की मदद से चेट करके तीन किशोरियों को फँसाया था । इतना ही नहीं । परंतु सैक्सटोय की मदद से उसने किशोरियों के साथ कई महीनों तक सेक्स संबंध भी स्थापित किया । सच्चाई सामने आने पर जेनिफर स्टेन्स नामक इस महिला को ३९ महीने की सजा सुनाई गई ।

ब्रिस्टल के इस चौंकानेवाली घटित घटना में पुलित को आरोपी महिला के घर से रबर का पेनिस (लिंग) मिला था । पीड़ित खिशोरियों ने कहा कि सैक्स संबंध स्थापित करते वक्त स्टेन्स कोन्डोम का उपयोग करती थी । अदालत ने महिला को तीन किशोरियों पर जातीय हमला करने पर दोषित ठहलाया है । पिछले पाँच साल से यह महिला किशोरीयों से दुष्कर्म करती थी । सेन्स ने जब पहली बार यह अपराध किया तब उसकी उम्र १७ वर्ष थी । इस महिला ने किशोरीयों को ऐसा फँसाया था कि वे स्टेन्स को युवा युवक ही समझ रही थी स्वयं महिला होने की बात उसने छुपाइ थी । अपने जातीय आवेगों को कामवासना को तृप्त करने के लिए महिला ऐसा करती थी । पिछले साल एक महिला को इसी प्रकार के केस में आठ साल की सजा हो चुकी है । इस केस में गेल न्यूलोन्ड नामक महिला अपनी सहेली के साथ पुरुष के रुप में सैक्स संबंध स्थापित करती थी । सैक्स करते वक्त वो अपनी सहेली की आँखों पर पट्टी बाँध देती थी ।

सहेली की आँखों पर पट्टी बाँध देती थी । जेनिफर स्टेन्स के केस में सुनवाई के दौरान न्यायमुर्ति ने कहा था कि महिला ने खूब चालाकी से इस अपराथ को अंजाम दिया था । सैक्स संबंधों में किशोरियों को पता भी न लगने दिया कि वह एक महिला है । यह प्रेम था कि सैक्स–यह समझ से बाहर है ।

***

कभी लगता है कि वर्तमान में बने हुए महिला सुरक्षा के कानून या महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम महिलाओं के दुर्गुणों को ढंकने का प्रयत्न करते हैं कभी ऐसा लगता है । विश्वास घात–धोखा–ठगी–करनेवाली महिलाए इन कानूनों का दुरुपयोग भी करती हैं ।

अपनी खूबसूरती व मीठी वाणी का दुरुपयोग करके पुरुषों को अपनी जाल में फँसाती है और विवाद होने पर पुरुषों को ही दोषी ठहराती है और स्वयं बच निकलती है – ऐसे में कुत्सित मनोवृत्ति वाली महिलाओं के पक्ष में कानून भी खड़ा नजर आता है और उनकी पहचान गुप्त रखता है तब लगता है कि जैसे सारी गल्तीयाँ पुरुष की ही हो । पर हकीकत में हर घटना में ऐसा नहीं होता महिलाएँ भी इसमें दोषी होती हैं ।